

अल फारुक इण्टर कालेज

(अमौना इटवा जिला सिद्धार्थनगर)

संस्था द्वारा बच्चों के अभिभावकों को प्रवेश व शिक्षण शुल्क में दिये जाने वाले छूट संबंधी नियमावली

- यदि एक अभिभावक के दो बच्चों का प्रवेश है तो निचली कक्षा वाले बच्चे की शिक्षण शुल्क 50 प्रतिशत देय होगी तथा अन्य सभी शुल्क 100 प्रतिशत देय होगी।
- यदि एक अभिभावक के तीन बच्चों का प्रवेश है तो सबसे निचली कक्षा वाले बच्चे की शिक्षण शुल्क 100 प्रतिशत माफ रहेगी तथा अन्य सभी शुल्क 100 प्रतिशत देय होगी।
- यदि एक अभिभावक के चार अथवा पांच बच्चों का प्रवेश है तो सबसे निचली कक्षा वाले एक बच्चे की शिक्षण शुल्क 100 प्रतिशत तथा दूसरे बच्चों की 50 प्रतिशत माफ रहेगी तथा अन्य सभी शुल्क 100 प्रतिशत देय होगी।
- यदि एक अभिभावक के छः बच्चों का प्रवेश है तो सबसे निचली कक्षा वालों के दो बच्चों की शिक्षण शुल्क 100 प्रतिशत माफ रहेगी और अन्य सभी शुल्क 100 प्रतिशत देय होगा।
- यदि कोई अभिभावक पुरे सत्र सभी शुल्क सत्र के प्रथम माह में एक साथ जमा करते हैं तो उन्हें शिक्षण शुल्क में एक माह की छूट दी जाएगी।

आदेश दिनांक 06.07.26

प्रबंधक/प्रधानाचार्य